

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1895/2011/कोटा

मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स,
आई.पी.आई.ए., कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 23/वेट/10-11/कोटा में पारित आदेश दिनांक 29.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत आरोपित कुल मांग राशि रूपये 1,02,125/- को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण दिनांक 05.02.2009 को पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने राज्य बाहर की कुल खरीद 10,67,430/- की बताई थी, परन्तु सशक्त अधिकारी ने जांच में पाया कि एसटी-18 घोषणा-पत्रों के अनुसार राज्य के बाहर से कुल खरीद राशि रूपये 17,43,015/- की थी, इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राशि रूपये 6,75,585/- की खरीद को छुपाकर करापवंचन किया गया। सशक्त अधिकारी ने इस माल पर खरीद में खर्च व लाभांश जोड़ते हुए 7,43,144/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर राशि रूपये 29,726/- व इसे बकाया मानकर इस पर ब्याज राशि रूपये 12,947/- तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति राशि रूपये 59,452/- कुल मांग राशि रूपये 1,02,125/- का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए

५

लगातार.....2

आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेक के साथ कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.02.2009 पारित किया, परन्तु बाद में उन्होंने पुनः अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दिनांक 06.04.2010 को आदेश पारित करते हुए मांग राशि का आरोपण कर दिया, जो कि पूर्णतः अविधिक है, क्योंकि सशक्त अधिकारी ने यह कही भी प्रमाणित नहीं किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त माल की खरीद को किसी भी प्रकार से छुपाया गया है, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् पुनः धारा 33 के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।


5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्रों, वैट ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आलौच्य अवधि के लिए राज्य के बाहर से की गई कुल खरीद रुपये 10,67,430/- घोषित की थी, परन्तु एसटी-18ए की जांच में पाया गया कि राज्य के बाहर से की गई कुल खरीद रुपये 17,43,015/- की थी, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की नियत से राज्य के बाहर की खरीद को कम बताया था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा रुपये 6,75,585/- की खरीद को लेखापुस्तकों में नहीं दर्शाया था, इस पर कर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.04.2010 पारित करते हुए मांग राशि का आरोपण कर दिया। इस संबंध में कि माननीय उच्च न्यायालय ने SB civil/misc/STR No./107/2010 मैसर्स रमेश कुमार बंसल ठेकेदार बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिये गये निर्णय दिनांक 13.12.2011 में यह अभिमत प्रकट किया है कि यदि कोई **apparent mistake on record** अर्थात् रेकॉर्ड पर परिलक्षित भूल पायी जाती है तो इसे अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी सशक्त



अधिकारी ने एसटी-18ए की जांच करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया, इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 29.06.2011 यथावत् रखा जाता है, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य